

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 जून 2020 — ज्येष्ठ 11, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4233/डी.89/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र. 19 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित

हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलाएगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्र. 19 सन् 1995) की संलग्न अनुसूची में, सरल क्रमांक 1 में, कॉलम (2) में, प्रविष्टि (अट्ठारह) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
“(उन्नीस) गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही.”		

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4233/डी.89/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2020)

**THE CHHATTISGARH ZILA YOJANA SAMITI (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2020.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No.19 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|---|--------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. | Short title and commencement. |
| | (2) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In the Schedule appended to the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995), in serial number 1, in column (2), after entry (xviii), the following shall be added, namely :- | Amendment of Schedule. |

(1)	(2)	(3)
“(xix) Gaurela-Pendra-Marwahi.”		